

बिहार सरकार  
अनु०जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग  
सं०-३/निदे० (छात्रावास संधारण)६६-२४/२०१८- २५

प्रेषक,

प्रेम सिंह मीणा,  
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,  
बीरचंद पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक- 17.07.18

**विषय:-** वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य स्कीम के अन्तर्गत संकल्प संख्या-1143 दिनांक-10.05.2018 के आलोक में राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण छात्रावासों में आवासित छात्र/छात्राओं को खाद्यान्न (गेहूँ एवं चावल) की आपूर्ति योजना का लाभ देने के लिए बिहार राज्य खाद्य एवं असेनिक आपूर्ति निगम से बी०पी०एल० दर पर मासिक आवंटन का Revolving Fund के रूप में तीन माह की अग्रिम राशि के रूप में अनुसूचित जाति के लिए ₹11,70,339/- एवं अनुसूचित जनजाति के लिए ₹79,536/- अर्थात् कुल ₹12,49,875/- (बारह लाख उनचास हजार आठ सौ पच्चहत्तर रू०) मात्र का आवंटित राशि की अग्रिम निकासी की स्वीकृति।

आदेश- स्वीकृत।

2- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के स्वीकृत्यादेश सं०-19 दिनांक-06.07.2018, आवंटनादेश सं०-20 दिनांक-06.07.2018 एवं शुद्धि पत्र सं०-21 दिनांक-10.07.2018 द्वारा आवंटित राशि कुल ₹12,49,875/- हजार (बारह लाख उनचास हजार आठ सौ पच्चहत्तर रू०) मात्र की अग्रिम निकासी की स्वीकृति वित्त विभाग के परिपत्र सं०-एम०-४-२१/०७-३७४८ दिनांक- 05/04/2010 के आलोक में प्रदान की जाती है।

3- वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561 दिनांक 17-4-98 के आलोक में राशि की निकासी की जाएगी।


4- निकासी की जाने वाली राशि स्वीकृत बजट उपबंध के अधीन हैं।

5- निकासी पदाधिकारी सहायक निदेशक(मु०)-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग इस हेतु निकासी पदाधिकारी घोषित है।

6- उक्त राशि की निकासी के प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग की सहमति प्राप्त है।

7- राशि की निकासी कर बिहार राज्य खाद्य एवं असेनिक आपूर्ति निगम के मुख्यालय द्वारा संचालित बैंक खाता संख्या-6282639495, इण्डियन बैंक, कंकडबाग शाखा, पटना IFS CODE NO-IDIB000K196, Central TPDS) में हस्तांतरित करेंगे। प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असेनिक आपूर्ति निगम, पटना द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष-2018-19 में विभागीय संकल्प संख्या-1143 दिनांक-10.05.2018 के माध्यम से कार्यान्वित होनेवाली योजना पर ही राशि का व्यय किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में राशि का विचलन नहीं किया जाएगा।

विश्वासभाजन,

  
16.7.18  
(प्रेम सिंह मीणा)  
सरकार के सचिव।


ज्ञापांक-3/निदे0 (छात्रावास संधारण)66-24/2018- 25 पटना, दिनांक-17-07-18

प्रतिलिपि:- (1) वित्त विभाग, बजट शाखा/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग/ प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असेैनिक आपूर्ति निगम, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) संबंधित कोषागार पदाधिकारी बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(3) (i) निदेशक अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/अपर सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/उप निदेशक (मु0), अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/सभी सहायक निदेशक, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/अवर सचिव, प्रभारी बजट शाखा, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/आई0 टी0 मैनेजर,/संबंधित प्रशाखा पदा0, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, सांख्यिकी कोषांग, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(ii) सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/सभी संबंधित उप विकास आयुक्त/सभी संबंधित उप निदेशक, कल्याण/सभी संबंधित जिला कल्याण पदा0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
16.7.18  
सरकार के सचिव।